

प्रेषक,

भूपेन्द्र बहादुर सिंह,
अनुसचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

✓ मुख्य वन संरक्षक/
नोडल अधिकारी
उ०प्र० लखनऊ।

ASE/Dxit

वन एवं वन्य जीव अनुभाग-2

लखनऊ, दिनांक 20 दिसम्बर 2016

21/12/16

विषय:- हरदोई में पलिया-लखनऊ मार्ग (एस०एच०-25) किमी० 180-181 के मध्य दायीं पट्टी पर ग्राम-खजुरमई के खसरा संख्या-349 पर इण्डियन ऑयल कारपो० लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1011/11-सी/हरदोई/20659/2016 दिनांक 10-11-2016 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है हरदोई में पलिया-लखनऊ मार्ग (एस०एच०-25) किमी० 180-181 के मध्य दायीं पट्टी पर ग्राम-खजुरमई के खसरा संख्या-349 पर इण्डियन ऑयल कारपो० लि० द्वारा विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.075 हे० संरक्षित वन भूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बंध में क्या भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशा-निर्देश दिनांक 11-7-2016 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन कर लिया गया है।

कृपया उपरोक्तानुसार आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय

(भूपेन्द्र बहादुर सिंह)
अनुसचिव

कार्यालय मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उ०प्र०, लखनऊ।
पत्रांक 1329/11-सी-हरदोई : दिनांक : दिसम्बर 22, 2016.

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस भाषण से प्रेषित कि शासन द्वारा इस्तेमाल भारत सरकार के पत्र दिनांक 11-7-2016 में उल्लिखित शर्तों के सम्बंध में स्वच्छ आख्या दो प्रतिपों में इस कार्यालय में प्रेषित करने का कष्ट करें।

- 1- मुख्य वन संरक्षक, लखनऊ महल, लखनऊ।
- 2- प्रभा० निदेशक, सा०वा० अभाग हरदोई।

22/12/16
(सुरेश च/उ०)

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी
उ०प्र०, लखनऊ